

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
29/2014	212, RTA	धोलाडा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गुडडीबाई	बनाम	धूरीबाई वगै०	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
29-6-14	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी 1 व 2 को जर्गे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम धोलाडा तहसील छबड़ा के ख0नं0 78/3 रकवा 03. 17 बीघा, ख0नं0 78/5 रकवा 3.17 बीघा, ख0नं0 3/2 रकवा 04 बीघा, कुल कित्ता 3 रकवा 11.14 बीघा पर जबाव पेश होने तक यथारिथति बनायें रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.06.2014 को पेश हो।	
11-6-14	पत्रावली पेश उपर वकील वादी उपर। प्रतिवादी गण के लिये वाद तामील जाफ वाफरु छपक के -पापा के उप. वकील उपर के बिकरु एक तस्मा जलवाही की जागीर पूर स्थान कोरुन दिनांक 8-7-14 तक देहा। गजरी पत्रावली वादि बरु दिनांक 8-7-14 की पेश हो।	
8-7-14	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अन्कारा पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 11-8-14 को पेश हो।	
11-8-14	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अन्कारा पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 6-10-14 को पेश हो।	
6-10-14	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अन्कारा पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 1-12-14 को पेश हो।	

दिनांक

1-12-14

पत्रावली पत्र उड़ी बकीर वारी उध। बरु
हेर एक चार्टर वी पूर्व स्पष्ट आदेश दिनांक
12-1-15 तक बहाल जाय है पत्रावली का
बरु दिनांक 12-1-15 को पत्र ~~उ~~

12/14

आज पीठारीन अधिनियम के दोरे / अयकाश
पर न के कारण पत्रावली दिनांक 12-1-15 में
दिनांक 26/6/18 को पेश है।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा बारा

26/18

राजस्थान लोक अदालत के रूप कोरै सुप्रीम -
कोर्टा पार पर हल वाद जिसल, गेड (10 फुट)
212 Act A नी दायिल इफ्तव रहे।

राजस्थान लोक अदालत
केस कोरै (10 फुट)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारा (राज)